Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 4 | APRIL 2024

राजस्थान की पाग-पगड़ियों का सांस्कृतिक महत्व

प्रो. (डॉ.) श्रीमती आशा परमार [1]

[1] **प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय झालामंड, जोधपुर**

ABSTRACT:

राजस्थान में अनेक प्रकार के रिवाज, परम्पराऐं एवं मर्यादाऐं पगडियों से सम्बन्धित रही है। इनको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया, समाज ने समय-समय पर इन मर्यादाओं को स्वीकार किया जिसे आम स्वीकृति मिलती गई।

सिर पर बांधा जाने वाला परिधान या पहनावा पगड़ी है। पाग-पगडी सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी धारण करना सिख लोगों के पाँच चिह्नों में से है। भारत में पगड़ी का बहुत प्रचलन था और सभी वर्गों के लोग इसे धारण करते थे। अंग्रेजों के आगमन के बाद इसमें धीरे-धीरे कमी आयी। राजस्थान में पगड़ी को पगड़ी, पाग या चिरा कहा जाता था। मरूस्थल में पगड़ी तेज गर्मी से रक्षा करती है। पगडी का रंग, आकार, एवं बांधने का तरीका स्थान, समय, त्यौहार, परिस्थितियां, सामाजिक स्तर एवं जाति के अनुसार होता है। उदयपुर का उमराव पाग, जयपुर का शाही साफा, जोधपुर की शाही जसवंत पेच, सामोध, टोकी, धौलपुरी, जालौरी, मालानी आदि पगडी के विभिन्न प्रकार और नाम है। यदि पगडी के अन्त में जरी लगी होती है तो उसे पेचा कहते है। राजस्थान में ऋतुओ के अनुसार पगड़ी के रंग थे। बारिश में गहरे रंग की पगड़ी, सर्दी में गहरी लाल, गर्मी में केसरिया, और दशहरे पर मदील पगड़ी पहनी जाती थी। थे। पुराने जमाने में आवश्यक रूप से पगडी पहनना लाजमी था क्योंकि पगडी, समाज, संस्कृति, मानवता द्वारा प्रतिष्ठित परिधान था जिसके साथ भावनाऐं, रिवाज अवसर एवं प्रतिष्ठा गुथी हुई थी। शोक से सम्बन्धित रिवाज भी पाग-पगडियों से जुड़ें है।

वर्तमान में त्यौहार व विवाह समारोह में पाग-पगडियों और साफों की सुन्दरता दिखते ही बनती है। अब इसने कुछ आधुनिक रूप ले लिया है। पाग-पगडियां राजस्थान की शोभा, गौरव, सुन्दरता और सम्मान का प्रतीक है।

KEYWORDS:

रिवाज, परम्पराऐं, मर्यादाऐं, पगडियां, सम्मान, संस्कृति.

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
4th April 2024	5th April 2024

संस्कृति किसी भी क्षेत्र के कला, साहित्य, धर्म, दर्शन और लौकिक जीवन के आदर्शों से सम्बन्धित है। राजस्थान के इतिहास का सांस्कृतिक पक्ष आरम्भ से प्रबल रहा है। मानव सभ्यता के विकास में उत्तर प्रस्तर युग तथा धातु युग, दो प्रमुख युग माने जाते है। उत्तर प्रस्तर युग के बाद राजस्थान में आदि मानव ने प्रस्तर धातु युग की नई सभ्यता में प्रवेश किया। सरस्वती नदी सभ्यता के बाद उसने आहड, गम्भीरी लूणी तथा काटली आदि नदी सभ्यताओं में जीवन यापन किया। ये सभ्यताऐं लगभग 1000 और 3000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है।

राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास की पृष्ठभूमि में शौर्य, कला, नैतिक जीवन नियम संयम, योग, अनुष्ठान व्रत तीर्थ आदि सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं का प्रचार-प्रसार ईसापूर्व 2000 से लेकर ईस्वी की नवीं शताब्दी तक हुआ माना जाता है।

राजस्थान में अनेक प्रकार के रिवाज, परम्पराऐं एवं मर्यादाऐं पगडियों से सम्बन्धित रही है। इनको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया, समाज ने समय-समय पर इन मर्यादाओं को स्वीकार किया जिसे आम स्वीकृति मिलती गई।

पाग-पगडियों की सर्वाधिक प्राचीन जानकारी 2350 ई0पू0 मेसापोटामिया की मूर्तिकला से देखी जा सकती है। हडप्पा और मोहनजोदडो की सभ्यता में भी इसके अवशेष देखे जा सकते है। 'मातृदेवी' की मूर्ति पर पंखे के आकार का वस्त्र लिपटा हुआ है। अतः कह सकते हैं कि पाग-पगडियां इस्लाम और ईसाई धर्म से भी पूर्व की है अतः इनका केवल धार्मिक महत्व के लिए प्रयोग उचित नहीं है। ऑल्ड टेस्टामेन्ट एवं वैदिक साहित्य में भी पाग-पगडियाँ का वर्णन मिल जाता है। वैदिक साहित्य में इन्द्राणी (इन्द्र की पत्नी) ने 'उस्निसा' नाम का एक वस्त्र से सिर ढक रखा है।

राजस्थान में पाबू प्रकाश में यह उल्लेख मिलता है कि जब पाबूजी की पत्नि सुविचार दे की पाबूजी के जिन्दा आने की कोई आशा नहीं रहती है तो वो सिर्फ मृत्यु के सूचक के रूप में उनके 'मौलिये' के आने का इन्तजार करती हुई अपनी सखी से कहती है-

"सुपनो झूठो सरबथा मुज्ज तणा नह भात।

मारग आवै " मौलियो " पाबू रो परभात ।।"

सुविचार दे तो स्वयं कहती थी कि 'कंत बिहूणी कामणी कै जीवै किण काज" तो पगडी के साथ सती होने के उदाहरण हमारे इतिहास के पृष्ठों में भरे पडे हैं।

राजस्थान एक मरू प्रदेश रहा है। यहाँ लू के साथ भयंकर गर्मी पडती है। अतः स्वाभाविक है कि यहां के लोगों ने लू एवं गर्मी से सिर को बचाने हेतु पाग-पगडियों को धारण करना प्रारम्भ किया। इन्हीं पाग-पगडियों से हमारी संस्कृति, झलकती है। पगडियों से सम्बन्धित कुछ रिवाज सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित है तो कुछ समय व परिस्थितियों के अनुसार घटना विशेष के द्वारा रिवाज बनते गये। कुछ रिवाज सिर्फ जाति विशेष से भी सम्बन्ध रखते हैं जिनको सब नहीं मानते। यह मर्यादाऐं अलिखित है। परन्तु अन्जाने रूप से सबके द्वारा स्वीकृत एवं समाज द्वारा मर्यादित है।

पगड़ी - पगडी एक ही बिना सिला कपडा है। यह सिर के चारों ओर बांधा जाता है। पगडी का रंग, आकार, एवं बांधने का तरीका स्थान, समय, त्यौहार, परिस्थितियां, सामाजिक स्तर एवं जाति के अनुसार होता है। उदयपुर का उमराव पाग, जयपुर का शाही साफा, जोधपुर की शाही जसवंत पेच, सामोध, टोकी, धौलपुरी, जालौरी, मालानी आदि पगडी के विभिन्न प्रकार और नाम है। यदि पगडी के अन्त में जरी लगी होती है तो उसे पेचा कहते है। चन्देरी, लहरिया, मठोडा, पचरंगा और सतरंगा की पगडी के विभिन्न प्रकार है।

पगडी और साफा में अन्तर - साफा और पगड़ी को बांधने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग है। साफा 10 गज लम्बा 1.25 गज चैडा कपडा होता है जबकि पगडी 20 गज लम्बी और 7 इंच चैडी होती है।

पाग-पगडियों का महत्व - पाग-पगडियों का विवेचन वेदों में भी मिलता है और इसे पुरूषों की वेषभूषा का प्रमुख भाग माना है। राजस्थान के किसान और गडरिये राजस्थान की

जलवायु के अनुसार बडी पगडियों को बांधते है । राजस्थान का राहगीर पाग-पगडी को अपना तकिया बना लेता है । वह इसे चादर अथवा एक तौलिये के रूप में भी काम में लेता है। इससे गन्दा पानी भी छाना जाता था । कभी-कभी इसे कुऐं से पानी निकालने के लिए रस्सी के रूप में भी काम में लिया जाता था ।

पाग-पगडी सम्मान का प्रतीक है। 'पगडी उतारना' कहावत का तात्पर्य अपमानित करना होता है । युद्धरत राजा की पगडी यदि उसके राज्य में भेजी जाती थी तो इसका तात्पर्य यह था कि राजा वीरगति को प्राप्त हो गया है ।

पाग-पगडियों से सम्बन्धित रिवाज - राजस्थान में पाग-पगडियों से सम्बन्धित रिवाज मुख्य रूप् से निम्न है ।

सामान्य रिवाज -

1. किसी भी पगडी को ऊपर से लांगना, ठोकर देना तथा उसे नीचे रखना अपमानजनक माना जाता है ।

2. पगडी बंधवाना किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मानसूचक है । पगडी हमेशा अपने से बडे से ही बन्धवाई जाती है ।

3. किसी भी अतिथि के घर जाने पर मेजबान पगडी बांधकर ही उसका स्वागत करने घर से बाहर आता था । नंगे सिर अतिथि के सामने आना अपमानजनक समझा जाता था । इसलिए पगडी बांधकर आना सामने वाले के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना था । नंगा सिर अपमानजनक एवं अपशकुन समझा जाता था ।

4. पुराने जमाने में राजघराने में ठिकानों में जनानी ड्योकी में जाने से पूर्व सभी को सिर पर पाग-पगडी बांधनी पडती थी । नंगे सिर वहां प्रवेश वर्जित था तथा ऐसा न करने पर उसे दण्ड मिलता था ।

5. पगडी बदल भाई भी बनाये जाते हैं । जिस प्रकार राखी बांधकर भाई बनाने जाते हैं उसी प्रकार पगडी बदलकर भाई बनाये जाते हैं ।

6. राजस्थान में स्त्रियां मृत-पति के साथ सती हो जाया करती थी परन्तु यदि पति की मृत्यु युद्ध स्थल में हुई हो और शव को प्राप्त करना आसान न हो तो ऐसी दशा में पति की पगडी की गोद में रखकर अनेकों रमणियां सती हो गई ।

7. राजस्थान के रेवारियों में पगडी के प्रति पारम्परिक लगाव है । भेडें चराते वक्त यदि उनकी भेडें किसी के खेत में नुकसान कर दे और झगडे में खेत का मालिक उसकी पगडी छीन ले तो यह उसका अपमान समझा जाता था । उस छीनी हुई पगडी को वापस लेने के लिए रैवारी समाज के पंच इकट्ठे होते हैं और हजारों का हर्जाना देकर भी वह फटी पुरानी पगडी वापस ली जाती है । यदि वह पगडी वे व्यक्ति प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं तो उसका प्रभाव उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर पडता है ।

8. मेवाड के चारभुजा, गोडवाड के पास पगडी के ऊपर केसरिया रंग का 'झाडिया' बांधा जाता है । दाडी बांधने की पट्टी से दाड़ी बाँधकर उससे ही पगडी साथ बाँध लेते थे उसे 'दाडी झाडियाँ' कहते है ।

9. पगडी का महत्व राजस्थान में पग-पग पर है जैसे कोई निःसंतान पुत्र गोद लेना चाहता है तो उसे समाज के कुटुम्ब के गणमान्य लोगों के सामने पगडी बाँधनी पडती है । उसके पश्चात् ही दत्तक पुत्र को समाज के द्वारा मान्यता दी जाती है । मारवाड में "पोतीयां बांधना" और मेवाड में "लहरिया बांधना" कहा जाता है ।

10. राजस्थान में यह भी परम्परा है कि यदि घुडदौड में किसी सवार का साफा गिर जाता है तो उसे कब्जे में कर लिया जाता है और जब तक नहीं लौटाया जाता जब तक की वे उसके लिए साफा उठाने वालों की कुछ इनाम न दे दिया जाए । उपर्युक्त रिवाज आज भी बाडमेर जिले में दिवाली के मौके पर होने वाली घुडदौड में देखा जाता है ।

11. बारात के आने की सूचना हमेशा लडकी वालों के घर नाई देने जाते है । उसे बदले में साफा रोकड इत्यादि देकर पुरस्कृत किया जाता है । आज भी नाई को नग के रूप में राजस्थान में साफा बंधवाने की परम्परा रही है ।

12. राजस्थान में सगाई, शादी इत्यादि अवसरों पर सिरों पांव से सम्मानित करने की परम्परा लगभग सभी जातियों में रही है ।

13. राजस्थान में प्राचीन काल में पगडी को गिरवी भी रखा जा सकता था तथा गिरवी लेने वाला साहूकार उसे सबसे अमूल्य मानकर मुंह मांगा रूपया उधार दे देता था। गिरवी रखने वाला व्यक्ति अपनी पगडी का समय आने पर मय सूद चुका कर ले जाता था क्योंकि पगडी गिरवी रखने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती थी और उसे छुडाकर वापस धारण करना मानसम्मान का प्रतीक होता था ।

14. प्राचीन काल में पगडी छीनकर ले जाना विजय का सूचक समझा जाता था। पगडी का दुश्मन के हाथ लगना महान अपमान समझा जाता था तथा उसे वापिस प्राप्त करने के लिए योद्धा मरने की तैयार रहते थे ।

15. यहां सम्मान देने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को पगडी बंधवाई जाती है । जिससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढती है । राजस्थान में पगडी बंधवाना जहां सम्मान का सूचक है । वहां सोठा जाति (राजपूत जो अब पाकिस्तान में रहते हैं) के परिवार में काम करने वाले घरेलू लोग सिवाय उसके मालिक के किसी अन्य के साफा पारितोषिक के रूप में या भेंट में पगडी लेकर बांधने में अपने मालिक का अपमान समझते हैं वे लोग सिर्फ अपने मालिक से लेकर ही पगडी बांधते है। यह भी एक सामाजिक परम्परा थी जो आज भी प्रचलित है ।

शोक से सम्बन्धित रिवाज -

1. किसी के पिता की मृत्यु पर उसके मृत्यु के बारहवें दिन पाग दस्तूर किया जाता है । जिसमें जिस पुत्र की पगडी बंधवाई जाती है, पगडी रस्म के पश्चात् ही उसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है । मृत्यु पर परिवार के सभी सदस्य सफेद साफे बांधते है और बारहवें दिन उस उत्तराधिकारी के ससुराल से गुलाबी रंग के साफे लाये जाते हैं जो पूरे कुटुम्ब में वितरित किये जाते हे । सफेद साफे उतार कर उसके स्थान पर गुलाबी साफे बांधने की इस परम्परा को रंग बदलना कहा जाता है ।

2. रंग बदलवाने का अधिकार हमेशा से ज्येष्ठ पुत्र के ससुराल वालों को होता है । यदि उस परिवार में अन्य भाई भी हो तो उनके ससुराल वाले भी अपने जंवाई के लिए गुलाबी साफा लाते हैं ।

3. मारवाड में कई बार शोध छः मास तक रखा जाता है और यदि मरने वाला कम उम्र का हो यह शोक छः मासी से बरसी तक भी रखा जाता है । तब तक निकट कुटुम्बी शोध सूचक सफेद साफे रखते हैं ।

4. कई बार रिश्तेदार अनुनय विनय करके भी शोकाकुल परिवार को रंग बदलने पर दबाब डालते सकते है । यदि वे रंग नहीं बदलते तो वे उस खुशी में सम्मिलित नहीं होते है ।

5. कई बार रिश्तेदार अनुननय विनय करके भी शोकाकुल परिवार को रंग बदलने पर दबाब डालते हैं । यदि बहुत ही निकट कुटुम्ब में ब्याह होना निश्चित हो जाता है, पुत्र जन्म हो, सगाई हो तो ऐसी परिस्थितियों में रंग बदलने के लिए कुटुम्बी दबाब डाल सकते है । यदि वे रंग नहीं बदलते तो वे उस खुशी में सम्मिलित नहीं होते है ।

6. मारवाड के गांव में जैसे बाडमेर, जैसलमेर में मृत्यु के तुरन्त बाद 12 दिन तक सिर्फ सफेद अंगोछे जो तीन चार मीटर लम्बे हो बांधते है । 12 दिन के पश्चात ही दस गज लम्बा साफा बांधा जाता है ।

7. जागीरदार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जागीर के लोग अंगोछा बांधते है । तथा वे अपने आपको उनके शोक में शामिल मानते है ।

उपर्युक्त रीति-रिवाज जीवन का अभिन्न अंग थे । पुराने जमाने में आवश्यक रूप से पगडी पहनना लाजमी था क्योंकि पगडी, समाज, संस्कृति, मानवता द्वारा प्रतिष्ठित परिधान था जिसके साथ भावनाऐं, रिवाज अवसर एवं प्रतिष्ठा गुथी हुई थी । यद्यपि अपने से निम्न स्तर या सामाजिक परम्परा में निम्न से पगडी बंधवाना सम्मान का सूचक नहीं है । आज भी ये समस्त परम्पराऐं किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान है ।

वर्तमान में त्यौहार व विवाह समारोह में पाग-पगडियों और साफों की सुन्दरता दिखते ही बनती है । अब इसने कुछ आधुनिक रूप ले लिया है । राजस्थान की पाग पगडियां विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र है । साफा बांध प्रतियोगिताओं में बहुत से विदेशी उत्साहपूर्वक भाग लेते नजर आते है । इस तरह पाग-पगडियां राजस्थान की शोभा, गौरव, सुन्दरता और सम्मान का प्रतीक है ।

REFERENCES

1. गोस्वामी, डॉ. प्रेमचन्द, राजस्थान संस्कृति कला एवं साहित्य, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2008।

2. गहलोत, सुखबीरसिंह, जोधपुर का सांस्कृतिक वैभव, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर 1997।

3. लेख, नागर डॉ. महेन्द्रसिंह, जोधपुर की पाग-पगडियों का सांस्कृतिक महत्व, राजस्थान ग्रन्थागार, जोधपुर 1997।

4. नीरज, डॉ. जयसिंह, ''राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2007।

5. अलकाजी, रोशन, 'एन्शीयट इंडियन कास्ट्यूम' पापुलर बुक डिपो, मुम्बई 1997।

6. भण्डारी, वन्दना, वूमन कास्ट्यूम इन राजस्थान शोध प्रबन्ध, नई दिल्ली विश्वविद्यालय, 1997।

7. घूरे, गोविन्द, सदाशिव, इण्डियन कॉस्ट्यूम' पॉपुलर बुक डिपो, मुम्बई 1951।

8. मोहता, पी.एस., हमारा राजस्थान, वैदिक यंत्रालय, अजमेर, 1950।

9. शर्मा, सी.एल. राजस्थान के अभिजन, परिवर्तित परिदृष्य, एम.डी. एब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1993।

10. राजस्थान राज्य गजट: इतिहास और संस्कृति, राजस्थान सरकार, जयपुर, 2011।

11. पनगडिया, बी.एल., हमारा राजस्थान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1984।